न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ﴾सागर﴿ कैम्प सागर

R- 1665- II/12

श्रीमति शीलरानी विधवा गनेश सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम बेरखेरी गंगाराम तह0 जिला सागर

-- आवेदिका

//विरुद्ध//

म. प्र शासन — अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू रा. संहिता

आवेदिका द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर के रा. प्र. क्र. 158ए/12 वर्ष 07-08 मे पारित आदेश दिनांक 9. 12. 2011 से दुखित होकर अन्य आधारो सहित निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत करती है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि आवेदिका ने अपने स्वामित्व व कब्जे की भूमि खसरा नंबर 953,955 रकबा क्रमश: 0.89 हेक्टे., 1.55 हेक्टेयर स्थित ग्राम सरेडी, तह0 जिला सागर का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र श्रीमान तहसीलदार सागर के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

2. यहकि आवेदिका द्वारा विचारण न्यायालय के आदेशानुसार निर्धारित शुल्क भी चालान से शासकीय कोश मे जमा किया था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन का आदेश दिया गया था अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी ने जानकारी दी कि संबंधित भूमि से - संबंधित चांदे ﴾सीमा चिन्ह﴿ मौके पर नही है इस कारण चांदा स्थापित कराये बिना सीमांकन किया जाना संभव नही है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा चांदा स्थापित करनेहेतु भू अभिलेख अधीक्षक को लिखा और चांदा स्थापित नहोने के कारण उन्हे कई बार स्मरण पत्र जारी किये गये लेकिन चांदा स्थापित न होने से अधिनस्थ -

B.O.R.

1 JUN 2012

क्रमांक 1546
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 6-6-12 को प्राप्त

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

86

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1665-दो/2012 जिला सागर शीलरानी विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार सागर के प्रकरण क्रमांक 158/ए-12/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 09-12-2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 3.1.19 सदस्य	